जनपद हमीरपुर

थाना मौदहा **दिनांक 17.05.2026**

थाना मौदहा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-162/2026 धारा 132, 221, 224, 352 बीएनएस से सम्बन्धित सरकारी कार्य में बाधा डालने व पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

अवगत कराना है कि वादी उ0नि0 मनोज कुमार मिश्रा, थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में बतौर उप निरीक्षक नियुक्त हैं। दिनांक 15.05.2026 को समय करीब 21:30 बजे ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में अपने साथी कर्मचारीगण का0 दीपेन्द्र मौर्य व का0 अरुण यादव के साथ शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में भ्रमणशील थे। इसी दौरान कुछ अराजक तत्व सड़क किनारे शराब पीकर आने-जाने वाले लोगों के साथ गाली-गलौज कर रहे थे। मौके पर पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्तियों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, जिस पर वहां मौजूद अन्य लोग चले गए। किन्तु चन्द्रभान पुत्र विशाल वर्मा निवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर तथा उसका एक अन्य साथी नाम-पता अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगे तथा अभद्रता करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगे एवं पुलिस टीम के साथ मारपीट पर आमादा हो गए। दोनों व्यक्तियों को पुनः रोकने का प्रयास किया गया तो वह लोग मौके से भाग गये।

वादी उप निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मौदहा पर मु0अ0सं0-162/2026 धारा 132, 221, 224, 352 बीएनएस बनाम चन्द्रभान पुत्र विशाल वर्मा निवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर व एक अन्य अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 17.05.2026 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. चन्द्रभान पुत्र विशाल वर्मा (उम्र करीब 34वर्ष) निवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।
2. नन्दराम पुत्र मुन्नीलाल (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी ग्राम मुडेरी जनपद छतरपुर म0प्र0।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 विनेश गौतम
2. आ0 विजय प्रताप
3. आ0 अंकित यादव